

# गुजरात केन्सर एन्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद

गुजरात बाहर के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मरीजों को  
निःशुल्क इलाज/इलाज में राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

## अनुसूचित जाति (SCHEDULED CASTE):

- अनुसूचित जाति (SC) वर्ग में आने वाले मरीजों को इलाज में रु.१,५०,००० (रु. डेढ़ लाख) तक की वार्षिक आय पर १००% तथा रु.१,५०,००० (रु. डेढ़ लाख) से अधिक की वार्षिक आय पर ५०% राहत की स्वीकृति दी गई है।

### आवश्यक दस्तावेज

- अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया होना चाहिए।)
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया आय प्रमाणपत्र
- पते का प्रमाण (राशन कार्ड/इलेक्शन पहचान पत्र/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।)

## अनुसूचित जनजाति (SCHEDULED TRIBE):

अनुसूचित जन जाति (ST) वर्ग में आने वाले मरीजों में से गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) जीवन यापन करने वाले या रु. १५०००/- (रु. पंद्रह हजार) से कम वार्षिक आय वाले मरीजों को निःशुल्क इलाज में अग्रिमता दी जाएगी।

### आवश्यक दस्तावेज

- अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया होना चाहिए।)
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया आय प्रमाणपत्र
- पते का प्रमाण (राशन कार्ड/इलेक्शन पहचान पत्र/आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।)

अनुसूचित जाती(SC)/जनजाति(ST) के जाति प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्राधिकृत अधिकारी में से किसी एक द्वारा दिया गया होना चाहिए। The caste certificate of SC/ST must be issued by any of the following empowered authority.

- 1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उपआयुक्त/अपर उप.आयुक्त/ उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उपविभागिय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अति.सहायक आयुक्त / Dist.Magistrate/Collector/Dy.Commissioner/Addl.Dy. Commissioner/ Dy. Collector / 1<sup>st</sup> Class Stipendiary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate / Exec. Magistrate / Extra Asst. Commissioner
- 2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/Chief Presidency Magistrate / Addl. Chief Presidency Magistrate / Presidency Magistrate
- 3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार श्रेणी से निचे के स्तर के न हो/Revenue Officer not below the rank of Tahsildar
- 4) उपविभागिय अधिकारी, जिस क्षेत्रमें मरीज तथा/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है। Sub Divisional officer of the area where the patient and / or his/her family normally resides.

Last Updated on 1-9-2018